

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- सीक) :- चौरा वि0ख0- डीघ जनपद- मदीही

ग्राम पंचायत में दिनोंक.....19-7-23 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	मनोज कुमार ओझा	ब्राह्मण	53 अध्यक्ष	8898999410
2	सुनीता देवी	OBC	66 सचिव	7985407820
3	सुषमा ओझा	ब्राह्मण	47 कोषाध्यक्ष	8382930525
4	रमिनारायण विन्द	OBC	63 सामान्य सदस्य	9519688894
5	संत लाल विन्द	OBC	60 सामान्य सदस्य	9125171558
6	जगदीश विन्द	OBC	62 सामान्य सदस्य	8009994360
7	संजय विश्वकर्मा	OBC	43 सामान्य सदस्य	8112534029
8	फुलचन्द शुक्ल	ब्राह्मण	61 सामान्य सदस्य	8097297499
9	रफीक अहमद	मुस्लिम	62 सामान्य सदस्य	
10	सुशीला प्रजापती	OBC	40 सामान्य सदस्य	8127357291
11	सरोती देवी	OBC	26 सामान्य सदस्य	9125171558
12	रमा शंकर ओझा	ब्राह्मण	70 सामान्य सदस्य	8652560519
13	राम वायु	ब्राह्मण	35 सामान्य सदस्य	7014333515
14	सीधाराम	OBC	67 सामान्य सदस्य	
15	सुनीता देवी	OBC	41 सामान्य सदस्य	8112534029

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।

8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।

11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगुठों
1	मनोज कुमार जोड़ा	अध्यक्ष	
2	जामिन्दर सिंह रावत	सचिव	
3	सुषमा जोड़ा	कोषाध्यक्ष	सुषमा जोड़ा
4	राम नारायण वीर	सामान्य सदस्य	राम नारायण वीर
5	संजय लाल वीर	सामान्य सदस्य	
6	जगदीश वीर	सामान्य सदस्य	जगदीश वीर
7	संजय नारायण	सामान्य सदस्य	संजय वीर
8	कुलचन्द शुक्ल	सामान्य सदस्य	कुलचन्द शुक्ल
9	रफीक अहमद	सामान्य सदस्य	रफीक अहमद
10	सुनीता पुजापति	सामान्य सदस्य	
11	सरोजा देवी	सामान्य सदस्य	सरोजा
12	रमा शंकर जोड़ा	सामान्य सदस्य	रमा शंकर जोड़ा
13	रामदास	सामान्य सदस्य	रामदास तीवारी
14	सीमाराज	सामान्य सदस्य	सीमा राम
15	सुनीता देवी	सामान्य सदस्य	सुनीता देवी

